

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केन्द्र उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक: /2015(निगरानी)

श्री रमेशचंद्र सोलंकी  
कानून  
मु.प्र.  
21/7/15

1. रमेशचंद्र सोलंकी पुत्र श्री गोपाल सोलंकी आयु:-55 साल,  
व्यवसाय:-कृषि
2. नरेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र श्री गोपाल सोलंकी आयु:-53 साल,  
व्यवसाय:-कृषि
3. मनोहर सोलंकी पुत्र श्री गोपाल सोलंकी आयु:-50 साल,  
व्यवसाय:-कृषि

तीनों निवासीगण:-कंगालपुर उज्जैन म.प्र. ....प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता  
विरुद्ध

श्री लाल शर्मा एड.  
13/7/15

1. मॉंगीलाल पुत्र श्री बापूजी आंजना आयु:-70 साल, व्यवसाय:-नामालूम,
2. शांताबाई पुत्री बापूजी आंजना आयु:-45 साल, व्यवसाय:-नामालूम,
3. लीलाबाई पुत्री बापूजी निवासी:-गोयलाखुर्द उज्जैन म.प्र.  
तीनों निवासीगण:-ग्राम भेरुपुरा तहसील तराना जिला उज्जैन
4. म.प्र.शासन द्वारा जिला कलेक्टर उज्जैन म.प्र. ....विपक्षीगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा दिनांक 27.4.15 को किये आदेश के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की निम्न निगरानी प्रस्तुत है:-

1. यह कि, प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 28/1/1/1/2 गोयलाखुर्द तहसील व जिला उज्जैन में है, जिसका पुराना नम्बर 28/1/1/1 है। जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं।
2. यह कि, प्रार्थीगण के भूमि सर्वे क्रमांक 28/1/1/1/2 के उत्तर में कीर्ति नगर, दक्षिण में भूमि सर्वे 28/1/1/2/1 व पूर्व में शासकीय सड़क व पश्चिम में प्रार्थीगण की भूमि है।
3. यह कि, दिनांक 31.03.2015 को विपक्षी ने एक आवेदन श्रीमान् तहसीलदार महोदय, को संबोधित करते हुवे कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला उज्जैन में भूमि सर्वे क्रमांक 28/1/1/2/13 का सीमांकन करने हेतु प्रस्तुत किया।


रमेशचंद्र नरेन्द्र सोलंकी - मनोहर सोलंकी

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2491-दो/15

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह वैस उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	